



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

ब्लॉक न. 09, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008



क्रमांक - का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/भर्ती/2023-24/1153

जबलपुर, दिनांक 09/03/2024

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन/ नियम पुस्तिका-2023-24

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पाँ.ज.कं.लि.), पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी है एवं मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। म.प्र.पाँ.ज.कं.लि. अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों के संचालन-संधारण, नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु विभिन्न संवर्गों के पदों पर, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

इस नियम पुस्तिका में जब तक अन्यथा उल्लेखित ना किया गया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अर्थ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पाँ.ज.कं.लि.) है।

1. विज्ञापित पद, पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य (बैकलॉग सहित)

संवर्ग	पद नाम	पद कोड	पद का प्रकार	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
				UR	SC	ST	OBC	EWS	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
पाली रसायनज्ञ	पाली रसायनज्ञ	001	नियमित	02	01	0	0	0	03
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र)	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	002	नियमित	03	02	03	03	02	13
	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	003	नियमित	03	0	01	01	0	05
	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	004	नियमित	0	01	01	01	0	03

(Handwritten Signature)

संवर्ग	पद नाम	पद कोड	पद का प्रकार	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
				UR	SC	ST	OBC	EWS	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	005	नियमित	03	01	01	01	0	06
संयंत्र सहायक	संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	006	नियमित	19	20	22	13	09	83
	संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	007	नियमित	12	14	15	09	06	56
औषधी संयोजक	औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट)	008	नियमित	03	01	02	01	01	08
स्टाफ नर्स	स्टाफ नर्स	009	नियमित	03	05	05	01	0	14
कुल				48	45	50	30	18	191

नोट :-

1. संयंत्र सहायक संवर्ग (पद कोड - 006 एवं 007) हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करें ।
2. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, किसी भी समय किसी भी संवर्ग/पद के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने एवं घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या ना भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है ।
3. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है । इस हेतु कंपनी कोई भी कारण दिये जाने हेतु बाध्यकारी नहीं होगी ।
4. विज्ञापित पदों के संबंध में विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों की जानकारी इस नियम पुस्तिका के **“परिशिष्ट - दो”** में प्रदान की गई है ।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29/09/2022, क्रमांक एफ 3/1/2/0014/2023-जीएडी-आर.सी.-01(जीएडी) दिनांक 26/06/2023, क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 09/05/2023 एवं ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 23/05/2023, क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 30/06/2023 के अनुसार विज्ञापित पदों के 87%

पदों (मुख्य भाग) पर जारी किया जाएगा एवं शेष 13% पदों का परिणाम उपरोक्त याचिकाओं के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा। विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष भाग (13%) की जानकारी इस नियम पुस्तिका के “परिशिष्ट-दो” में प्रदान की गई है।

6. रिट याचिका क्रमांक 19194/2023 में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/08/2023 में निहित निर्देशानुसार इस विज्ञापन के अंतर्गत की जाने वाली भर्ती, रिट याचिका क्रमांक 19194/2023 में पारित निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

2. सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें:-

उपरोक्त पदों के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, लागू वेतन, नियम, निर्देश एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी इस नियम पुस्तिका के “परिशिष्ट - एक” में प्रदान की गई है।

3. चयन प्रक्रिया :-

1. आवेदकों का संबंधित पद पर चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंको की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा।
2. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

4. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा:-

1. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, म.प्र. राज्य के शहरों में आयोजित की जावेगी।
2. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिये गये परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छानुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक द्वारा चुने हुये परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। चुने हुये शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

3. परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में म.प्र.पॉ.ज.क.लि. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
4. कंपनी परीक्षा शहरों/ केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने तथा हटाने हेतु अधिकार सुरक्षित रखती है । म.प्र.पॉ.ज.क.लि. किसी भी समय बिना कोई कारण बताये परीक्षा शहरों/ परीक्षा केंद्रों को कम अथवा ज्यादा कर सकती है ।
5. आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जावेगी ।
6. परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा मोबाईल फोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी, किताबे, इत्यादि का प्रवेश एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवेदक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व, ई-प्रवेश पत्र में दिये गये अनुदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें ।
7. मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसे आवेदकों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार

अनारक्षित वर्ग (UR) के आवेदकों हेतु - रुपये 1200/-

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC)/ - रुपये 600/-

अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य पिछड़ा वर्ग
(गैर क्रीमी लेयर) (OBC)/ दिव्यांगजन/
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के
आवेदकों हेतु

आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा ।

1. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ यू.पी.आई) से ही स्वीकार किया जावेगा । आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किये गये हैं ।
2. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु बैंक लेंन देन शुल्क, यदि लागू हों, का वहन आवेदकों द्वारा ही किया जायेगा ।
3. आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क, जैसा लागू हो, एक बार भुगतान करने के बाद न तो किसी भी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और न ही इन्हें किसी अन्य भर्ती या चयन के लिए सुरक्षित किया जावेगा । उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्कों



का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता नियम पुस्तिका में उल्लेखित शर्तों अनुसार स्वयं सुनिश्चित कर लें ।

4. किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाये । किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने कि स्थिति में, उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा । अन्य, एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।

6. आवेदन कैसे करे:-

1. आवेदन केवल आनलाईन माध्यम से, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (<https://mppgcl.mp.gov.in>) पर स्वीकार किये जायेगे । अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे ।
2. आनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/ जानकारी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट (<https://mppgcl.mp.gov.in>) के आवेदन पोर्टल मे उपलब्ध है ।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट (<https://mppgcl.mp.gov.in>) के पोर्टल मे दिये गये अनुदेशो एवं भर्ती नियम-पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें ।
4. आवेदक के पास स्वयं का ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर होना आवश्यक है । आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन मे पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर का आगामी एक वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है । ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा । कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार आनलाईन आवेदन मे आवेदक द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर पर ही किये जायेगे ।
5. आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है:-
 - i. कक्षा दसवीं (10th) की अंकसूची ।
 - ii. म.प्र. स्थायी निवास प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आवेदकों हेतु) ।
 - iii. जाति प्रमाण पत्र (म.प्र के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु) ।
 - iv. आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु) ।
 - v. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु) ।



- vi. परिशिष्ट - एक अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/ प्रमाण पत्र ।
- vii. आवेदक का नवीन छायाचित्र (Recent Photograph) ।
- viii. आवेदक का हस्ताक्षर ।
- ix. आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज ।

6. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिये आवेदन पोर्टल में दिये गये “हेल्प डेस्क” टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है अथवा आवेदन पोर्टल में दिये गये हेल्प लाईन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है ।

7. महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

विवरण	दिनांक (सम्भावित)
आवेदन पोर्टल, ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	02/04/2024 (10:30 Hrs)
ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	30/04/2024 (23:55 Hrs)


उपरोक्त तिथियाँ कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती हैं ।

ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथियाँ नोटिस के माध्यम से म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की वेबसाइट में पृथक से सूचित की जावेगी । आवेदक परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे । आवेदकों को ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आवेदन पोर्टल में दिये गये हेल्प लाईन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है अथवा आवंटित परीक्षा शहर में संचालित फेसिलिटेशन सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते हैं । फेसिलिटेशन सेंटर परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व से संचालित होंगे ।

8. महत्वपूर्ण

1. कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र/ जानकारी केवल मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट (<https://.mppgcl.mp.gov.in>) पर प्रकाशित की जायेगी।

2. यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र/ अपडेट/ नोटिस (यदि कोई हो) को नोट कर लें। यदि कोई उम्मीदवार नवीनतम अपडेट नोट करने में विफल रहता है तो इस संबंध में म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र हर दृष्टि से सही भरना चाहिए और कोई भी जानकारी छिपाना नहीं चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
4. आवेदक को परीक्षा केंद्र पर अपने एक फोटो युक्त मूल परिचय पत्र के साथ ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। किसी भी उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र और फोटो युक्त मूल परिचय पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार की पहचान का मिलान फोटो युक्त परिचय पत्र से किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में अपने नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के 02 फोटोग्राफ लाना आवश्यक है।
5. आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों का अवलोकन करें।
6. उम्मीदवारों को उनके हित में, सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन पंजीकृत कर जमा कर दें। यदि उम्मीदवार अंतिम तिथि एवं समय पर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।



(एस.के. शुक्ला)

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

म.प्र.पा.ज.क.लि., जबलपुर

परिशिष्ट-एक
सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें

1. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता
पाली रसायनज्ञ	001	<p>ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से नियमित (Regular) एम.एस.सी (रसायन) स्नातकोत्तर डिग्री ।</p> <p>अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ एम.एस.सी. (रसायन) स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।</p>
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	002	<p>मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री ।</p> <p>अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु</p>



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता
		न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	003	इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री । अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	004	इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री ।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता
		<p>अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।</p>
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	005	<p>सिविल इंजीनियरिंग में ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री ।</p> <p>अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।</p>

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता
संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	006	<p>राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा मशीनीस्ट/ फिटर/ बैल्डर/ एच.पी.बैल्डर/ मैकेनिक पम्प/ मैकेनिक वाहन/ मोटर मैकेनिक/ डीजल मैकेनिक ट्रेड में म.प्र.शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र ।</p> <p>अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।</p>
संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	007	<p>राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन/ वायर मैन/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इंस्ट्रुमेंटेशन ट्रेड में म.प्र. शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र ।</p> <p>नर्मदानगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में दो वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड</p>

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता
		<p>सर्टिफिकेट (आई.टी.आई. इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य) भी मान्य होगा एवं उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे ।</p> <p>अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।</p>
औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट)	008	<p>राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12वीं (विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से भेषजज्ञ (फार्मेसी) में नियमित डिप्लोमा/ डिग्री ।</p> <p>अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ भेषजज्ञ (फार्मेसी) में डिप्लोमा/ डिग्री उत्तीर्ण</p>

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता
		होना अनिवार्य हैं । उपरोक्त के साथ म.प्र. फार्मसी कौंसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ।
स्टाफ नर्स	009	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से नियमित बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण । अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं । उपरोक्त के साथ म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के मेमो क्र. सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22/09/2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक में 10% की छूट प्रदान की गई है ।

2. आयु सीमा

न्यूनतम आयु सीमा

पद कोड	न्यूनतम आयु
001	21 वर्ष
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, एवं 009	18 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा

क्र.	आवेदक	म.प्र. के मूल निवासी आवेदक हेतु अधिकतम आयु सीमा (दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में)	अन्य राज्य के आवेदक हेतु अधिकतम आयु सीमा (दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित)	40 वर्ष	40 वर्ष
2	महिला आवेदक (अनारक्षित)	45 वर्ष	
3	पुरुष/ महिला आवेदक (म.प्र. के शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक)	45 वर्ष	
4	पुरुष/ महिला आवेदक - आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष	
5	पुरुष/ महिला आवेदक - आरक्षित वर्ग (म.प्र. के शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक)	45 वर्ष	
6	दिव्यांगजन	45 वर्ष	

उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र क्र. सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04/07/2019 के अनुसार है ।

3. आयु सीमा में छूट तथा आवश्यक निर्देश

1. अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार की जावेगी जो हाई स्कूल/ हायर सेकेंडरी अथवा मेट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो ।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में लागू आयु सीमा में छूट केवल म.प्र. के मूल निवासी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार पर ही लागू होगी । क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग माना जावेगा ।
3. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के जापन क्र सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03/09/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी ।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के जापन क्र सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी ।
5. याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/02/2022 के परिपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के समान देय होगी । यद्यपि अधिकतम आयु सीमा में देय यह छूट, उक्त याचिका के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी ।
6. ऐसे उम्मीदवार, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु सीमा में से उनके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।
7. म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांगजन/ महिला (अनारक्षित / आरक्षित) तथा शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्थानों के कर्मचारी/ नगर सैनिक/ आदि श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच (5) वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी ।
8. यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा । यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी । सभी प्रकार की छूट



को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

9. म.प्र. के शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी/ नगर सैनिकों आदि को प्रदाय आयु सीमा में छूट केवल ऐसे उम्मीदवारों को देय होगी जो आवेदन पत्र भरने के पूर्व से दस्तावेज सत्यापन के समय शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था/ नगर सेना आदि में निरंतर सेवारत हों ।
10. सभी आरक्षण और आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थियों इत्यादि को आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होगी अर्थात आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु म.प्र. का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है । अन्य राज्यों के उपरोक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जाएगा । (सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/एपी/ए, दिनांक 06/08/2012 के प्रावधानों के अनुसार)।
11. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा के संदर्भ में छूट केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर ही लागू होगी ।
12. जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है, उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किंतु आवेदन शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी ।
13. ऐसे उम्मीदवार जो कि पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में नियमित रूप से कार्यरत हैं, को विभागीय उम्मीदवार के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में पूर्णतः (सेवानिवृत्ति की आयु तक) छूट प्रदान की जाती है ।

4. आरक्षण

1. आरक्षण हेतु म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में निहित नियमों एवं उक्त नियम में लागू संशोधनों का पालन किया जावेगा । विज्ञापित पदों पर, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक 07-53/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04/01/2020 के साथ संलग्न म.प्र राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 530 दिनांक 24/12/2019 के द्वारा लागू सीधी भर्ती रोस्टर अनुसार किये गये हैं ।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग उम्मीदवारों (जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक है) हेतु क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी असाधारण राजपत्र क्रमांक 288 दिनांक 31/05/2022 के अनुसार लागू होंगे ।

3. मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17/11/2015 के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अंतर्गत महिलाओं को 33% प्रतिशत आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार (हॉरिजॉन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज) प्रदान किया जावेगा । महिलाओं हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध योग्य महिला उम्मीदवार ना मिलने की स्थिति में इन पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जावेगा अपितु उसी श्रेणी के उपलब्ध योग्य पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक सी 3-8/2015/एक-3 दिनांक 15/06/2017 द्वारा म.प्र.पाँ.ज.क.लि. में संयंत्र सहायक (पद कोड -006 एवं 007) पद हेतु महिलाओं को देय 33% प्रतिशत आरक्षण से छूट प्रदान की गई है ।
5. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक दिनांक 01/01/2018 के अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "मांझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11/11/2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन कर लिया है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।
6. मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के अनुसार तृतीय श्रेणी (पद कोड 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008/ 009) के पदों हेतु 10% (दस प्रतिशत) समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण (हॉरिजॉन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज) प्रदान किया जावेगा ।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र धारकों पर ही लागू होगा ।
8. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 299 दिनांक 31/05/2018 के अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/ सहरिया आदिम जनजाति; जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है एवं पद कोड 002/ 003/ 004/ 005/

006/ 007/ 008/ 009 हेतु आवेदन करता है और विज्ञापित पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा । ऐसे उम्मीदवारों की संबंधित पद पर नियुक्ति, निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर, मेरिट अनुसार, अनुसूचित जनजाति के विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही की जावेगी ।

9. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र/ परिपत्र क्र. एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 02/07/2019, क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 18/07/2019 एवं क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 22/11/2019 अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।
10. म.प्र. राज्य के अलावा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांगजन/ महिला/ भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी अंतर्गत ही मान्य किये जायेंगे ।
11. विज्ञापित पदों हेतु परीक्षा परिणाम (लिखित परीक्षा) घोषित किये जाने के पूर्व सीधी भर्ती के संदर्भ में आरक्षण नियमों में कोई भी संशोधन किये जाने की स्थिति में, संशोधित नियमों का पालन किया जावेगा एवं तदनुसार ही परीक्षा परिणाम को घोषित किया जावेगा ।

5. सामान्य शर्तें, निर्देश एवं सूचना

1. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन के पूर्व भर्ती नियम एवं शर्तों का विस्तृत एवं सूक्ष्मता से अध्ययन करना सुनिश्चित कर लें ।
3. आवेदक, आवेदित किये जाने वाले पद हेतु विज्ञापन/ नियम पुस्तिका में विहित प्रावधानानुसार अपनी अर्हता एवं अन्य नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना सुनिश्चित कर लें ।
4. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर का आगामी एक वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर का पंजीयन किये जाने के उपरांत परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा । कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर पर ही किये जायेगे ।



5. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26/01/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26/01/2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी (तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का) द्वारा जारी मान्य आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन के तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति का मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त विज्ञापित पदों हेतु जातिगत आरक्षण का लाभ केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो। इस हेतु उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति, मध्य प्रदेश के मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ स्वप्रमाणित कर जमा करना होगा।
9. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड/ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
10. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया है, वे म.प्र. शासन के असाधारण राजपत्र द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10/03/2000 के अनुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।
11. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक सी 3-17-96-2-1 भोपाल दिनांक 25/10/1996 में निहित प्रावधानानुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे महिलाओं के खिलाफ अपराध हेतु दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
12. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
13. आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये, आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिये। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताये अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये पात्रता नहीं होगी।
14. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/ अर्धशासकीय/ सार्वजनिक उपक्रम/ पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत हैं एवं वे विज्ञापित पदों में से जिस पद के लिए



आवेदन करना चाहते हैं उस पद हेतु विहित की गयी न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हों, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, महिला आवेदक, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ म.प्र. का मूल निवासी/ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी या चयन का दावा रद्द हो जाएगा । ऐसे उम्मीदवारी एवं चयन का दावा रद्द होने का दायित्व सिर्फ अभ्यर्थी का होगा ।
16. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं म.प्र. राज्य के जिला/ संभागीय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।
17. दिव्यांगजनों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन में वर्णित उनके लिये आरक्षित पदों पर ही विचार किया जावेगा । दिव्यांगजन उम्मीदवारों को देय छूट/ लाभ की पात्रता हेतु दिव्यांगता का माप न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है ।
18. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, म.प्र. के परिपत्र क्र. दि.सा/302/2021/1098 दिनांक 06/05/2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01/06/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यू.डी.आई.डी. पोर्टल के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैनुअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा ।
19. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति उनकी दिव्यांगता के संतोषजनक सत्यापन के अध्यधीन होगी ।
20. अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता के समर्थन में दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
21. भर्ती प्रक्रिया/ नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर में ही मान्य होगा । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।



22. वित्त विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ-4-4/2013/नियम/4 दिनांक 13/09/2013 के अनुसार म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमी लेयर), दिव्यांगजन अभ्यर्थी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने पर नियमानुसार उनके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी का एक तरफ का द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किराया, टिकट प्रस्तुत करने पर, प्रतिपूर्ति की जावेगी। वित्त विभाग, म.प्र शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार/भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के अनुसार परीक्षा के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से आवेदक के बैंक खाते में ही किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को इस नियम पुस्तिका के साथ संलग्न **प्रोफॉर्मा-1** में यात्रा एवं अन्य विवरण भरकर, यात्रा टिकट, जाति/ दिव्यांगता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में ही जमा करना अनिवार्य होगा।
23. विज्ञापित पद हेतु आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पदों में से आवेदन किये जाने वाले पद हेतु समस्त निर्धारित अहर्ताएं पूर्ण करते हों। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने मात्र के आधार पर उम्मीदवार द्वारा चयन या नियुक्ति के संबंध में किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
24. आवेदक द्वारा जमा/ प्रस्तुत किये गए किसी भी दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र, अंकसूची, डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि कोई भी जानकारी/ दस्तावेज गलत पाई जाती है, तो चयन/ नियुक्ति के किसी भी स्तर पर या उसके पश्चात उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
25. अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमानुसार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन होगी। प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकेगी। संतोषजनक सत्यापन तक नियुक्ति प्रावधिक (Provisional) रहेगी। रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
26. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति, उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी द्वारा उनसे संबंधित जाति/ वर्ग का सत्यापन किये जाने के अध्यधीन होगी। यदि यह पाया जाता है कि उनसे संबंधित जाति/ वर्ग म.प्र राज्य की अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं है अथवा उनके द्वारा जमा किया गया जाति/ वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र असत्य /फर्जी है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, एवं झूठी जानकारी देने हेतु उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

27. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जमा करने उपरांत जन्म तिथि एवं जाति/ वर्ग के संबंध में सुधार अथवा परिवर्तन करने हेतु किये गये अनुरोध पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन भरते समय सही एवं स्पष्ट जानकारी भरने एवं उसकी पुष्टि करने उपरांत ही आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करना चाहिये।

6. चयन प्रक्रिया :-

1. ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
2. आवेदकों का संबंधित पद पर चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा।
3. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा म.प्र. राज्य के शहरों में आयोजित की जायेगी जिसकी जानकारी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई है।
4. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा। परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे एवं शेष 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि से संबंधित होंगे। परीक्षा की अवधि 02 घंटे होगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में होगा।
5. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की वेबसाइट (<https://mppgcl.mp.gov.in>) के माध्यम से तत्समय पृथक से सूचित की जायेगी।
6. आवेदक का संबंधित संवर्ग में अंतिम चयन इस शर्त के अधीन होगा कि आवेदक चयन एवं नियुक्ति हेतु सभी निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड को पूर्ण करता है तथा आवेदक ने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत एवं जमा कर दिये हैं।
7. यदि किसी/ सभी संवर्ग हेतु अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, उपलब्धता एवं म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की आवश्यकता अनुसार एक से अधिक पालियों एवं तिथियों में आयोजित की जावेगी। ऐसी स्थिति में प्राप्तांको का नॉर्मलाईजेशन कर प्रावीण्य/ मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
8. मेरिट/ प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी प्रावीण्यता/ मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-

- i. उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा ।
 - ii. जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने उक्त पद हेतु आयोजित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के संबंधित विषय पर आधारित भाग (75 प्रश्न) में अधिक अंक प्राप्त किये हों ।
 - iii. ऐसी स्थिति में, जब उपरोक्त दोनों स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा दसवीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी ।
9. अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% कट ऑफ अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% कट ऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों अथवा नॉर्मलाईज्ड अंक (यदि लागू हो) के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जावेगी ।
10. मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा चयन हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंकों तक पैनेल संचालित किया जायेगा । चयन पैनेल लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा । भर्ती प्रक्रिया को विशिष्ट आदेश जारी कर एक वर्ष के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है । भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने संबंधी विशिष्ट आदेश जारी करने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा ।
11. प्रावीण्य सूची तैयार करते समय आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में रखा जायेगा एवं अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जावेगा ।
12. विज्ञापित पदों पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के संबंध में म.प्र.पाँ.ज.क.लि. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा ।

7. चयन एवं नियुक्ति:-

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी । चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा । दस्तावेज सत्यापन के उपरांत

सफल/ योग्य आवेदको को संबंधित संवर्ग/ पद मे प्रशिक्षु (यदि लागू हो) के रूप मे नियुक्त किया जावेगा ।

8. प्रशिक्षण

पदवार प्रशिक्षण की अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर, यदि कोई हो) नीचे दी गई तालिका अनुसार होगी । प्रशिक्षण अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि सहित) को वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) हेतु गणना में जोडा नही जायेगा ।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, द्वितीय श्रेणी के पद (पद कोड 001) हेतु निर्धारित वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम के बराबर समेकित स्टाईपेंड दिया जाएगा ।

सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र क्र. सी 3-13/2019/3/1 दिनांक 12/12/2019 अनुसार प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि के दौरान तृतीय श्रेणी के पदों (पद कोड 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 एवं 009) में संबंधित संवर्ग जिसमें चयन हुआ है, के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टाईपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत ही नियमितिकरण की पात्रता होगी । नियमितिकरण उपरांत संबंधित वेतनमान मे वेतन देय होगा। म.प्र.पॉ.ज.क.लि. के आदेश क्र. का.नि.(मा.सं एवं प्रशा.)/नीति/2578 दिनांक 11/07/2023 अनुसार सफल प्रशिक्षण उपरांत शेष परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेंड के साथ अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।

क्र.	पद	प्रशिक्षण अवधि
1	पाली रसायनज्ञ	01 वर्ष
2	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	01 वर्ष
3	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	01 वर्ष
4	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	01 वर्ष
5	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	01 वर्ष
6	संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	09 माह
7	संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	09 माह
8	औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट)	लागू नही
9	स्टाफ नर्स	लागू नही

9. वेतन एवं अन्य भत्ते

पद	पद कोड	वेतनमान (लागू वेतन मेट्रिक्स अनुसार)		
		वेतनमान	वेतनमान का न्यूनतम	लेवल
पाली रसायनज्ञ	001	56100-177500	56100/-	12
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	002	32800-103600	32800/-	08
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	003	32800-103600	32800/-	08
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	004	32800-103600	32800/-	08
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	005	32800-103600	32800/-	08
संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	006	25300-80500	25300/-	06
संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	007	25300-80500	25300/-	06
औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट)	008	19500-62000	19500/-	04
स्टाफ नर्स	009	22100-70000	22100/-	05

10. अंशदायी पेंशन योजना:-

सफल प्रशिक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्ति होने पर अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी ।

11. परिवीक्षा अवधि:-

प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षुओं को नियमित संवर्ग में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । संबंधित पद हेतु लागू परिवीक्षा अवधि निम्नानुसार है:-

पद कोड	परिवीक्षा अवधि
001	02 वर्ष
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 एवं 009	03 वर्ष

पद कोड 002, 003, 004, 005, 006 एवं 007 पर लागू प्रशिक्षण अवधि, परिवीक्षा अवधि का भाग होगी ।

परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षु/ कार्मिक के कार्यदक्षता की समीक्षा की जाएगी एवं यदि प्रशिक्षु/ कार्मिक अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि को एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि प्रशिक्षु/ कार्मिक पुनः अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करता है, तो नियमानुसार उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

12. सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बाँड:-

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण अवधि (विस्तारित अवधि सहित) सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं तत्पश्चात 03 वर्ष की कंपनी में सेवा हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बाँड निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध अनुसार अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण न करने के एवज में निम्नानुसार बाँड राशि म.प्र.पाँ.ज.क.लि. को देय होगी:-

सेवा अनुबंध की अवधि - चयनित अभ्यर्थी को रुपये 500/- मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं तत्पश्चात तीन (03) वर्ष की सेवा अवधि हेतु वैध बाँड जमा करना होगा।

बाँड की राशि - सेवा अनुबंध की अवधि पूर्ण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देने अथवा पृथक होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये 02 लाख) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये 01 लाख) देय होगी।

बाँड हस्तांतरण - अभ्यर्थियों के पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में समान पद अथवा उच्च पद पर चयन की स्थिति में बाँड अन्य उत्तरवर्ती कंपनी, जिसमें अभ्यर्थी का चयन हुआ है, को सेवा अनुबंध की निर्धारित शेष अवधि हेतु समान शर्तों पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को लागू नोटिस अवधि से भी नियमानुसार छूट देय होगी।

13. क्षेत्राधिकार

भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति, सेवा, आदि संबंधित विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्र कंपनी मुख्यालय जबलपुर होगा ।

14. महत्वपूर्ण

भर्ती संबंधी समस्त आवश्यक निर्देश/ सूचनाये/ आदेश केवल म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाईट (<https://mppgcl.mp.gov.in>) पर ही प्रकाशित किये जायेगे, अतः आवेदक नियमित रूप से कंपनी की वेबसाईट का अवलोकन करें । महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों के अवलोकन न करने की स्थिति में आवेदक द्वारा किये गये किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं इस संबंध में म.प्र.पॉ.ज.क.लि. की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।



(एस.के. शुक्ला)

मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.ज.क.लि., जबलपुर

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

क्रमांक	पद नाम	पद कोड	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
			UR	SC	ST	OBC	EWS	
1	पाली रसायनज्ञ	001	02	01	0	0	0	03
2	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	002	03	02	03	03	02	13
3	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	003	03	0	01	01	0	05
4	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	004	0	01	01	01	0	03
5	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	005	03	01	01	01	0	06
6	संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	006	19	20	22	13	09	83
7	संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	007	12	14	15	09	06	56
8	औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट)	008	03	01	02	01	01	08
9	स्टाफ नर्स	009	03	05	05	01	0	14
योग			48	45	50	30	18	191

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : पाली रसायनज्ञ (नियमित)

पद कोड - 001

कुल विज्ञापित पद - 03

मुख्य भाग (87%) - 03

शेष भाग (13%) - 00

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	2	0	0	0	2	0	VI	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	0	0	1	0	HI	1
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	0	0	0	0	0	0	LD	1
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0	MD	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	0	0		
योग		3	0	0	0	3	0		03

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0	-	-
योग		0	0	0	0	0	0	0	0

सकल योग	3	0	0	0	0	3	0	-	03
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

(Handwritten Signature)

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल (नियमित)

पद कोड - 002

कुल विज्ञापित पद - 13

मुख्य भाग (87%) - 12

शेष भाग (13%) - 01

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	1	1	0	1	1	2	VI	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	1	0	2	0	HI	0
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	1	1	0	2	1	LD	0
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	1	0	1	0	2	MD	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	1	0	1	0	2	0		
योग		4	3	3	2	7	5		1

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0		0
योग		1	0	0	0	1	0	-	0

सकल योग		5	3	3	2	8	5	-	1
---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल (नियमित)

पद कोड - 003

कुल विज्ञापित पद - 05

मुख्य भाग (87%) - 05

शेष भाग (13%) - 00

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	2	0	1	0	3	0	VI	
2	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	0	0	HI	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	0	0	0	1	0	LD	
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	1	0	1	0	MD	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	0	0		
योग		3	0	2	0	5	0		1

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0		
योग		0	0	0	0	0	0		0

सकल योग		3	0	2	0	5	0	-	1
---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स (नियमित)

पद कोड - 004

कुल विज्ञापित पद - 03

मुख्य भाग (87%) - 03

शेष भाग (13%) - 00

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	0	VI	1
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	0	0	1	0	HI	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	0	0	1	0	1	0	LD	
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0	MD	
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	0	0		
योग		2	0	1	0	3	0		1

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0	-	0
योग		0	0	0	0	0	0	-	0

सकल योग		2	0	1	0	3	0		1
---------	--	---	---	---	---	---	---	--	---

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (नियमित)

पद कोड - 005

कुल विज्ञापित पद - 06

मुख्य भाग (87%) - 06

शेष भाग (13%) - 00

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	2	0	1	0	3	0	VI	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	0	0	1	0	HI	1
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	0	0	0	1	0	LD	0
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	1	0	1	0	MD	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	0	0		
योग		4	0	2	0	6	0		02

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0	-	0
योग		0	0	0	0	0	0		0

सकल योग		4	0	2	0	6	0		02
---------	--	---	---	---	---	---	---	--	----

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : संयंत्र सहायक - मैकेनिकल (नियमित)

पद कोड - 006

कुल विज्ञापित पद - 83

मुख्य भाग (87%) - 77

शेष भाग (13%) - 06

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	17	0	2	0	19	0	VI	1
2	अनुसूचित जाति (SC)	19	0	1	0	20	0	HI	1
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	20	0	2	0	22	0	LD	2
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	6	0	1	0	7	0	MD	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	8	0	1	0	9	0		
योग		70	0	7	0	77	0		05

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	6	0	0	0	6	0	-	0
योग		6	0	0	0	6	0		0

सकल योग		76	0	7	0	83	0	-	05
---------	--	----	---	---	---	----	---	---	----

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल (नियमित)

पद कोड - 007

कुल विज्ञापित पद - 56

मुख्य भाग (87%) - 52

शेष भाग (13%) - 04

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	11	0	1	0	12	0	VI	1
2	अनुसूचित जाति (SC)	13	0	1	0	14	0	HI	1
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	0	1	0	15	0	LD	2
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	4	0	1	0	5	0	MD	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	5	0	1	0	6	0		
योग		47	0	5	0	52	0		05

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	4	0	0	0	4	0	-	0
योग		4	0	0	0	4	0		0

सकल योग		51	0	5	0	56	0	-	05
---------	--	----	---	---	---	----	---	---	----

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट) (नियमित)

पद कोड - 008

कुल विज्ञापित पद - 08

मुख्य भाग (87%) - 08

शेष भाग (13%) - 00

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	2	1	0	0	2	1	VI	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	0	0	1	0	HI	1
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	1	0	0	1	1	LD	0
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0	MD	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	1	0	0	0	1	0		
योग		6	2	0	0	6	2		01

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0	-	0
योग		0	0	0	0	0	0		0

सकल योग		6	2	0	0	6	2	-	01
---------	--	---	---	---	---	---	---	---	----

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : स्टाफ नर्स (नियमित)

पद कोड - 009

कुल विज्ञापित पद - 14

मुख्य भाग (87%) - 14

शेष भाग (13%) - 0

मुख्य भाग (87%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	2	1	0	0	2	1	VI	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	5	0	0	0	5	0	HI	1
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	5	0	0	0	5	0	LD	1
4	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0	MD	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	0	0		
योग		13	1	0	0	13	1		02

शेष भाग (13%) -

क्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		कुल		दिव्यांगजन	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0	-	0
योग		0	0	0	0	0	0		0

सकल योग		13	1	0	0	13	1	-	02
----------------	--	----	---	---	---	----	---	---	----

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

दिव्यांगता की श्रेणी संबंधी जानकारी

दिव्यांगता की श्रेणी	दिव्यांगता का विवरण
VI	दृष्टिबाधित और कम दृष्टि
HI	श्रवण बाधित, बहरे और कम सुनने वाले
LD	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी
MD	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता



M. P. Power Generating Co. Ltd., Jabalpur
TA Claim/ Reimbursement Form
[For SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/PWD Candidates only]

All SC/ ST/OBC (Non Creamy)/ Specially Abled (PWD) category candidates having MP Domicile shall be reimbursed one side (to or fro) Rail/ Bus fare for appearing in the Online Examination/ Computer Based Test (CBT), up to the extent of II-Class Ordinary Sleeper charges by the shortest route, on actual basis and as per rules, limited to the distance of the test center from the address for communication mentioned in their applications or from where they have actually performed the journey, whichever is minimum, on submission of original ticket & self-attested copy of respective category certificate and M.P. domicile certificate.

The travel reimbursement amount shall be deposited in the bank account as provided by the candidate in the Online Application form.

Name of the candidate _____

Application Sequence No. _____ Post Code. _____

Post Applied- _____ Date of Examination _____

Name of Test Centre and city _____

From Station/ City	To Station/ City	Distance in Km	Claim Amount of II Class Rail/ Bus fare (Rs.)	Remarks

Declaration

I hereby declare that, I belong to SC/ ST/OBC (Non Creamy)/ Specially Abled (PWD) category, having MP Domicile. The amount claimed is for the shortest route and as correct as possible to the best of my knowledge. The documents supporting the above claim are enclosed herewith, failing which I authorize the company to reject my claim on reimbursement of Travel fare.

Signature of the candidate : _____

Name of the candidate : _____

Father's / Husband's Name : _____

Address : _____

For Office Use Only

Admitted for payment of Rs. _____, in words Rupees

_____.

Authorized Signatory of MPPGCL
